संख्या- 07/2016/329/एक-4-16-16बी-4/15 टी0सी0

प्रेषक,

बीरबल सिंह,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

1- आयुक्त् एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ0 प्र0,लखनऊ।
2- जिलाधिकारी,
बरेली, महोबा, गोरखपुर, गाजियाबाद, गोंडा, गौतमबुद्धनगर,
मिर्जापुर, मऊ, रामपुर, कौशाम्बी, कुशीनगर, चन्दौली, बाराबंकी एवं लखनऊ ।

राजस्व अनुभाग-4 लखनऊ दिनांक 16 मार्च,2016

विषय:-वित्तीय वर्ष 2015-16 में जिला प्रशासन हेतु निष्प्रयोज्य वाहनों के प्रतिस्थापन स्वरूप नये वाहन क्रय किये जाने की वित्तीय स्वीकृति ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ0प्र0 लखनऊ एवं उपरोक्त जनपदों के जिलाधिकारियों के पत्रों के माध्यम से प्राप्त निष्प्रयोज्य वाहनों के प्रतिस्थापन स्वरूप नये वाहनों के क्रय किये जाने के संबंध में प्राप्त प्रस्तावों के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआा है कि वित्तीय वर्ष 2015-16 में संलग्न परिशिष्ट-क में उल्लिखित विवरण के अनुसार जिला प्रशासन के अन्तर्गत जिलाधिकारियों/जिलाप्रशासन के निष्प्रयोज्य वाहनों (अम्बेसडर कार/जीप/जिप्सी) के प्रतिस्थापन स्वरूप नये वाहन के रूप में टोयटा कम्पनी की 06(छः) इनोवा कार (2.5जी ई-4-एक्स, 7 सीट) (प्रतिवाहन रू0-11,63,020/-) हेतु रू0 69,78,120/- एवं 10 टाटा सूमो गोल्ड वाहन क्रय किये जाने हेतु (प्रतिवाहन रू0-5,44,180/- की दर से) हेतु रू0-54,41,800-00 तथा 02 बोलेरो (प्रतिवाहन रू0-6,64,102/-) हेतु रू0 13,28,204/- कुल रू0-1,37,48,124/- (रूपया एक करोड सैंतीस लाख अडतालीस हजार एक सौ चौबीस मात्र) की स्वीकृति अनुदान संख्या-50, लेखाशीर्षक-2053-जिला प्रशासन-आयोजनेत्तर-093-जिला स्थापनाएं-03-कलेक्ट्री स्थापना-14-मोटर गाडियों का क्रय मद में किये जाने तथा उक्त हेतु तदनुसार पूर्णाकिंत रू0-137.49 लाख की धनराशि 2053-जिला प्रशासन-आयोजनेत्तर-093 जिला स्थापनाएं-03-कलेक्ट्री स्थापना-01 वेतन मद में होने वाली बचतों से पुनर्विनियोग के माध्यम से स्वीकृत/व्यय किये जाने की निम्नलिखित शतों के अधीन श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1) उक्त व्यय वित्तीय नियम संग्रह के सुसंगत क्रय नियमों एवं मितव्ययिता सम्बंधी समय-समय पर निर्गत शासनादेशों में उल्लिखित शर्तो एवं प्रतिबंधों के अनुसार समस्त औपचारिकताएं पूर्ण करते हुए वाहन का क्रय स्वीकृत धनराशि के अन्तर्गत ही किया जायेगा। वाहन के क्रय के पूर्व यह भी सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि जिस निष्प्रयोज्य वाहन के स्थान पर नये वाहन का क्रय किया जा रहा है , उसके सापेक्ष पूर्व में वाहन का क्रय नहीं किया गया है। यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि निष्प्रयोज्य हुए वाहन के सापेक्ष शासन अथवा अन्य स्रोत से पूर्व में किसी प्रकार की धनराशि प्राप्त नहीं की गयी है।

(2) यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि प्रश्नगत निष्प्रयोज्य वाहन अनुदान संख्या -50 के अर्न्तगत जिला प्रशासन के लिए वाहनों की मद से ही क्रय किया गया हो। धनराशि का उपयोग केवल वाहन के क्रय के लिए वित्तीय वर्ष 2015-16 में ही किया जायेगा तथा वाहन का क्रय निर्धारित प्रक्रिया एवं सुसंगत क्रय नियमों/वित्तीय नियमों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करते हुए सूक्ष्म तथा लघु उद्योग विभाग व राजस्व विभाग में निर्धारित नीति के अनुसार इनोवा वाहन का क्रय स्पेशल गवर्नमेण्ट परचेज रेट पर तथा अन्य वाहनों का क्रय डी0जी0एस0 एण्ड डी0 रेट पर किया जायेगा, यदि संलग्न परिशिष्ट -"क" में उल्लिखित वाहन

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

क्रय करने के पश्चात धनराशि अवशेष बचती है तो उसे कोषागार में जमा कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(3) प्रतिस्थापन स्वरूप नये वाहनों का क्रय किये जाने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि निष्प्रयोज्य घोषित कर नीलाम किये गये वाहन सरकारी वाहन ही थे एवं उक्त निष्प्रयोज्य वाहन जिलाधिकारी को ही आवंटित थे तथा वाहन प्रतिस्थापन में द्विरावृत्ति नहीं हो रही है। यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि सम्बन्धि जिलाधिकारी के पास इनोवा वाहन नहीं है।

(4) शासन द्वारा जिस प्रकार के वाहन के क्रय की अनुमति या स्वीकृति प्रदान की गई है, उसी प्रकार के वाहन को क्रय करके शासन को एक माह के अन्दर उपयोगिता प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराया जायेगा। तत्पश्चात ही संबंधित जनपद को अन्य वाहन स्वीकृत किये जाने पर विचार किया जायेगा। नये इनोवा वाहन का क्रय स्पेशल गवर्नमेन्ट परचेज रेट पर तथा अन्य वाहनों का क्रय डी0जी0एस0 एण्ड डी0 दर अनुबंध पर राज्य के अन्दर आथराइज्ड डीलर से नियमानुसार किया जायेगा।

2- उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-50, लेखाशीर्षक -2053-जिला प्रशासन-आयोजनेत्तर-093-जिला स्थापनाएं-03-कलेक्ट्री स्थापना-14-मोटर गाडियों का क्रय मद के अन्तर्गत संलग्नक-2 (बी0एम0-9) में उल्लिखित मानक मदों के सम्मुख हो रही बचतो से पुनर्विनियोग के माध्यम से वहन किया जायेगा।

3- स्वीकृत धनराशि से संबंधित बजट जनपदों को आनलाइन करने की कार्यवाही राजस्व परिषद द्वारा तत्काल सुनिश्चित की जायेगी ।

4- यह आदेश वित्त विभाग के अ0शा0 संख्या-ई-5-238(1)/दस-2016 दिनांक 15 मार्च,2016 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

संलग्नक-यथोक्त। (परिशिष्ट-क/बी0एम0-9)

भवदीय,

(बीरबल सिंह)
उप सचिव ।

संख्या-07/2016/329(1)एक-4-16-तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -:

1- महालेखाकार (प्रथम),उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- कोषाधिकारी, बरेली, महोबा, गोरखपुर, गाजियाबाद, गोंडा, गौतमबुद्धनगर,मिर्जापुर, मऊ, रामपुर, कौशाम्बी, कुशीनगर, चन्दौली, बाराबंकी एवं लखनऊ ।
3- वित्त (व्यय नियंत्रण)अनुभाग-5
4- वित्त (आय व्ययक)अनुभाग-2।
5- राजस्व अनुभाग-6
6- गार्ड फाईल ।

आज्ञा से,

(बीरबल सिंह)
उप सचिव ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

परिशिष्ट -क

शासनादेश संख्या- 07/2016/329/एक-4-16-16बी-4/15, दिनांक 16 मार्च,2016 का संलग्नक।

क्रम सं0	जनपद का नाम	निष्प्रयोज्य वाहन की संख्या एवं प्रकार	स्वीकृत वाहन	स्वीकृत धनराशि (रूपये में)
1	बरेली	यू0पी0-25ए0जी0-0012 (जीप)	टाटा सूमो गोल्ड	5,44,180-00
2	महोबा	यू0पी0-95-जी0015(जिप्सी)	बोलेरो	6,64,102-00
3	गोरखपुर	यू0पी0-53ए0जी0-0202(अम्बेसडर कार) यू0एच0-डब्लू-9600 (जीप)	इनोवा कार 7सीटर टाटा सूमो गोल्ड	11,63,020-00 5,44,180-00
4	गाजियाबाद	यू0पी0-14पी-0003(अम्बेसडरकार)	बोलेरो	6,64,102-00
5	गोण्डा	यू0पी0-43जी-0002(जीप) यू0पी0-43जी-0003(जीप)	टाटा सूमो गोल्ड टाटा सूमो गोल्ड	5,44,180-00 5,44,180-00
6	गौतमबुद्धनगर	यू0पी0-16जी-0124 (अम्बेसडरकार) यू0पी0-16बी-1748 (जीप) यू0पी0-16 बी-4900 (जीप)	इनोवा कार 7सीटर टाटा सूमो गोल्ड टाटा सूमो गोल्ड	11,63,020-00 5,44,180-00 5,44,180-00
7	मिर्जापुर	यू0पी0-63जी-0111	इनोवा कार 7सीटर	11,63,020-00
8	मऊ	यू0पी0-54जी-0011 (अम्बेसडरकार)	इनोवा कार 7सीटर	11,63,020-00
9	रामपुर	यू0पी0-22जी-0022 (टाटा स्पेशियो)	टाटा सूमो गोल्ड	5,44,180-00
10	कौशाम्बी	यू0पी0-73जी-0033 (अम्बेसडरकार)	इनोवा कार 7सीटर	11,63,020-00
11	कुशीनगर	यू0पी0-57जी-0067 (टाटा स्पेशियो)	टाटा सूमो गोल्ड	5,44,180-00
12	चन्दौली	यू0पी0-67जी-0050 (अम्बेसडरकार)	इनोवा कार 7सीटर	11,63,020-00
13	बाराबंकी	यू0पी0-41जी-114 (टाटा सूमो जीप)	टाटा सूमो गोल्ड	5,44,180-00
14	लखनऊ	यू0पी0-32बीजी-0483 (टाटा सूमो जीप)	टाटा सूमो गोल्ड	5,44,180-00
			06 इनोवा कार एवं 10 टाटा सूमो गोल्ड तथा 02 बोलेरो	1,37,48,124-00

(रूपया एक करोड सेंतीस लाख अडतालीस हजार एक सौ चौबीस मात्र)

(बीरबल सिंह)
उप सचिव ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in